रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 1981/पौष 26, 1902
No. 19] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 1981/PAUSA 26, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1981

का. आ. 24 (अ) :—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और उक्त विवाद में राष्ट्रीय महत्ता का प्रश्न सन्निहित है तथा इसका स्वरूप ऐसा है कि उसमें एक से अधिक राज्यों में स्थित हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऐसे विवाद से हितबद्ध या प्रभावित होने की सभावना है ।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त विवाद में राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए ।

अत , अब केन्द्रीय सरकार—

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसका मुख्यालय बम्बई में होगा और न्यायमूर्ति श्री चिन्तामन त्र्यंबक दीघे को इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है, और

(2) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त औद्योगिक विवाद को उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के कर्मचारियों की वेतन-मान, भत्तों और सेवान्त लाभों तथा अन्य सेवा शर्तों यथा छुट्टी, ऋण और पेशगियों की ग्राह्यता, कार्य घन्टों में कमी तथा समय नियमित पदोन्नति, वर्दी की सफाई, आदि, में संशोधन की माग, जो उनके मार्च पत्र में निर्दिष्ट की गई है, न्यायोचित है और यदि हा, तो

(1) ऐसे कर्मचारियों के जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार कर्मकार है, सभी वर्गों को लागू और एक वेतन-मान से दूसरे वेतन-मान में पदोन्नति के अवसर क्या होने चाहिए ।

(2) कार्य घन्टे, साप्ताहिक अवकाश तथा अन्य अवकाश एवं छुट्टी क्या होनी चाहिए ।

(3) विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को ग्राह्य भत्ते क्या होने चाहिएं और उनकी दरें क्या होनी चाहिए ।

(4) सेवान्त लाभ जैसे उपदान, भविष्य निधि, परिवार पेंशन, आदि क्या होने चाहिएं ;

(5) अन्य सीमान्त लाभ जैसे ऋण तथा पेशगियां, चिकित्सा सुविधाएं, दुर्घटना मुआवजा, वर्दियों और जूतों की सप्लाई, अपने और आश्रित बच्चों के लिए शैक्षिक भत्ते, कर्मचारियों, के सगे संबंधियों के लिए नौकरियों का आरक्षण आदि क्या होना चाहिए ।

[सं. एल-51016/1/80-आई. एण्ड ई. (एस. एस)]
एम. सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 1981

S.O. 24(E).—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Hindustan Insectieides Ltd. and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed ;

And whereas the said dispute involves a question of national importance and is also of such a nature that industrial establishment of the Hindustan Insecticides Ltd. situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such dispute ;

And whereas the Central Government is of opinion that the said dispute should be adjudicated by National Tribunal ;

Now, therefore, the Central Government—

(i) in exercise of the powers conferred by Section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) hereby constitutes a National Industrial Tribunal with Headquarters at Bombay, and appoints Justice Shri Chintaman Tukaram Dighe, as its Presiding Officer ; and

(ii) in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1A) of Section 10 of the said Act, hereby refers the said industrial dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the demands of the Employees of Hindustan Insecticides Ltd. for revision of pay scales, allowances and terminal benefits and other conditions of service such as leave, admissibility of loans and advances, reduction in working hours and time regulated promotions, supply of uniforms etc. as outlined in their Charters of Demands are justified and if so, what should be :—

(i) Scales of pay applicable to all categories of employees who are workmen within the meaning of Industrial Disputes Act, 1947 and avenues of promotion from one scale to the other.

(ii) hours of work, weekly holidays and other holidays and leave.

(iii) the allowances admissible to various categories of employees and at what rates.

(iv) terminal benefits like gratuity, provident fund, family pension etc.

(v) other fringe benefits like loans and advances, medical facilities, accident compensation, supply of uniforms and shoes, educational allowances for self and dependent children, reservation of jobs for blood relations of employees etc.

[No. L-51016/1/80-I&E(SS)]
M. SETH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981